संख्या– 297 / VI/2005 –10 पर्य0 / 2001

प्रेषक,

ए0के0घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2005

विषयः–पर्यटन की नई योजनाओं के अन्तर्गत गुजुडूगढी (नैनीडांडा) का सौन्दर्यीकरण हेतु धनांवटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–224 / 2–6–371 / 04–05 दिनांक 26 अगस्त, 2004 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन की नई योजनाओं के अन्तर्गत गुजुडूगढी (नैनीडांडा) के सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 15.53 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रू0 14.80 लाख की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में कराये जाने हेतु व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसर निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है,उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11– कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

13– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य / योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन
विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगों सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की

सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे। और कार्य पूर्व होने पर कार्य की भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही निर्माण एजेन्सी को आंशिक धनराशि अवमुक्त की जायेगी और पूर्ण धनराशि कार्य के मानक एंव संस्तुति के अनुरूप पूर्ण होने की उनके भौतिक पुष्टि के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय0–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनायें 24–वृहत्त निर्माण कार्य की मानक मद के नामें डाला जायेगा।

16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–2054/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 31 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।

संख्या– VI/2005–10 पर्य0/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी,पौड़ी ।
5– वित्त अनुभाग–3, ।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।